# साथ है तो संभव है

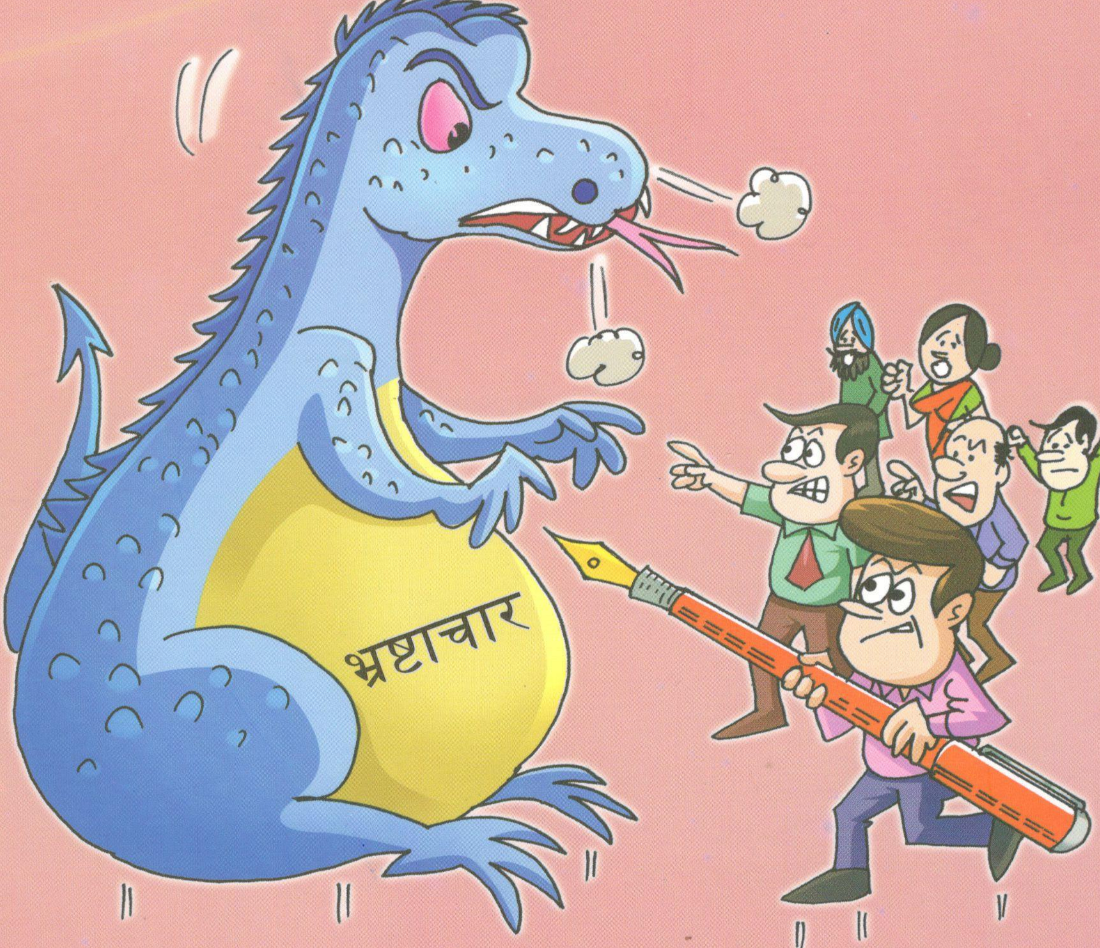


भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग

# साथ है तो संभव है

हेलो। क्या मैं विक्रम से बात कर रहा हूँ?
नमस्कार। हाँ, मैं विक्रम हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है?
विक्रम, मैं हूँ केन्द्रीय विद्यालय से संजय नागर। याद है?
संजय, कैसे हो? इतना लंबा समय हो गया है।
मैं अच्छा हूँ। स्कूल के बाद आज तीस साल बाद बात हो रही है।

दरअसल, मैं जानना चाहता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ़ शिकायत कैसे की जाती है। इसलिए सीमा से बात की और उसने मुझे तुम्हारा नंबर दिया।
उसने कहा कि तुम लंबे समय से सरकारी विभाग में काम कर रहे हो, इसलिए तुमको इसके बारे में ठीक से पता होगा। तुम्हे सीमा तो याद है ना ?
हाँ , मुझे सीमा याद है। वही ना जो हमारी कक्षा की टॉपर थी।
हाँ, वही। वह अब बेंगलुरु में एक बड़ी एमएनसी के लिए काम कर रही है।
अरे वाह! अच्छा अब मुझे मुद्दे के बारे में विस्तार से बताओ।

मैं एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ और उपक्रम से संबंधित अधिकारी मुझसे 5 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा है।
₹
मैं रिश्वत नहीं देना चाहता। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो वह अधिकारी मेरे प्रतिस्पर्धियों से संपर्क करेगा, जो भुगतान कर सकते हैं और अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं।
मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए।
तुम उस अधिकारी के खिलाफ़ शिकायत कर सकते हो।
मैं चाहता हूं, लेकिन यह नहीं पता कि यह कैसे करना है।

तुम केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत कर सकते हो।
सच में? क्या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है?
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION
हाँ, सीवीसी अधिनियम, 2003 के तहत, केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्र सरकार के तहत आने वाले विभिन्न संगठनों के विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवकों के खिलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप वाली शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।
केंद्र सरकार के मंत्रालय / विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियां, स्वायत्त संगठन, केंद्र शासित प्रदेश आदि सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
सीवीसी की ओर से जांच कौन करता है?

आयोग संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा सीबीआई के माध्यम से जांच करा सकता है।
CVO
विक्रम ने संजय को पूरी जानकारी देने के लिए अपने ऑफिस बुलाया।
क्या किसी भी अधिकारी के खिलाफ़ जांच कराई जा सकती है?
हां, सीवीसी के पास भारत सरकार के ग्रुप ए अधिकारियों और पीएसयू और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों पर सतर्कता प्रशासन का अधिकार क्षेत्र है।
बहुत अच्छा विक्रम। अब मुझे बताओ कि सीवीसी में शिकायत कैसे दर्ज करें?
सीवीसी के पास दो तरह से शिकायत दर्ज की जा सकती है। तुम उनके पोर्टल यानी www.portal.cvc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हो अथवा

शिकायत को पोर्टल के "कॉन्टैक्ट अस" पेज पर उल्लेखित पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हो।

लेकिन अपना पूरा डाक पता, फोन नंबर और ईमेलआईडी, यदि कोई हो, और सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ आरोपों का विवरण देना याद रखना।
क्या मैं अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता हूं?

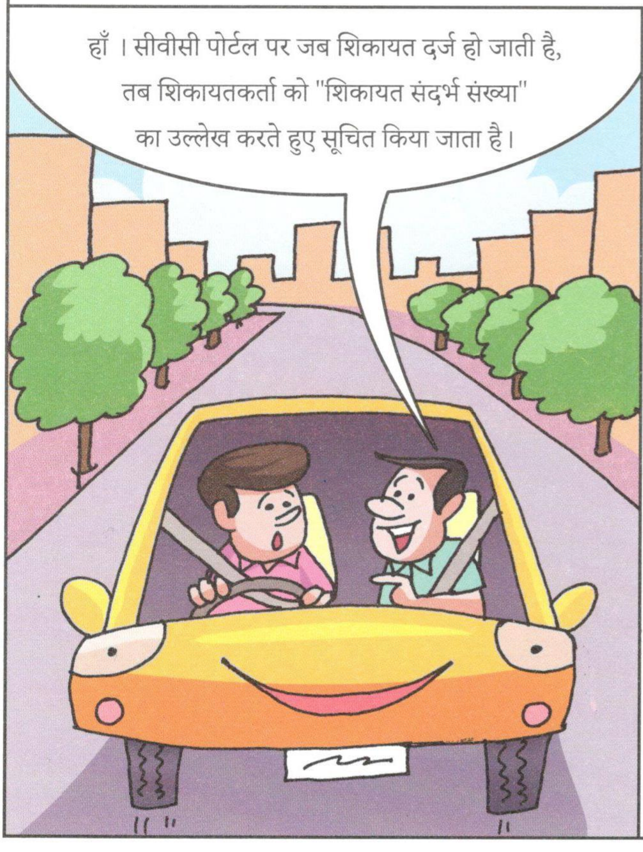
हाँ। सीवीसी पोर्टल पर जब शिकायत दर्ज हो जाती है, तब शिकायतकर्ता को "शिकायत संदर्भ संख्या" का उल्लेख करते हुए सूचित किया जाता है।

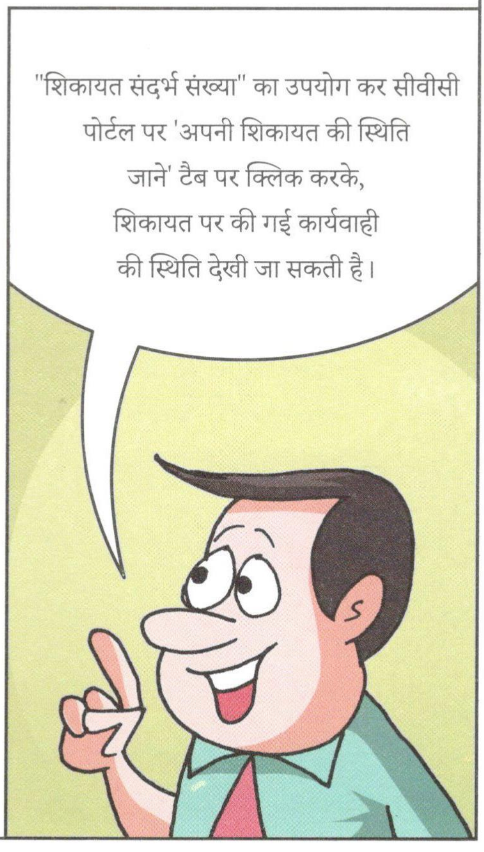
"शिकायत संदर्भ संख्या" का उपयोग कर सीवीसी पोर्टल पर 'अपनी शिकायत की स्थिति जानें' टैब पर क्लिक करके, शिकायत पर की गई कार्यवाही की स्थिति देखी जा सकती है।

विक्रम, मैं सीवीसी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है।
अगर उपक्रम के अधिकारी को पता चल गया कि शिकायत मैंने की है, तो क्या होगा?
मेरी पहचान प्रकट करने से मेरा व्यवसाय भी प्रभावित हो सकता है।
यदि तुम अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहते हो, तो लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण यानी पिडपी संकल्प के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हो।
अच्छा।
इसे विसल ब्लोअर मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है।
आयोग ना केवल शिकायतकर्ता की पहचान की गोपनीयता बनाए रखता है बल्कि शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार की शारीरिक धमकी एवं उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करता है।

विक्रम,
पिडपी के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?
पिडपी के तहत शिकायत केवल डाक द्वारा की जा सकती है। लिफाफे के ऊपर पिडपी लिखा होना चाहिए।
पिडपी
शिकायतकर्ता को लिफाफे के ऊपर अपना नाम लिखने से बचना चाहिए और व्यक्तिगत विवरण अलग से देना चाहिए।इसे या तो शीर्ष पर या पत्र/शिकायत के अंत में दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से छिपाया जा सके।
पिडपी संकल्प के अनुसार, सीवीसी एवं भारत सरकार के मंत्रालय/ विभागों को पिडपी शिकायत प्राप्त करने के लिए नामित किया गया है।
अगर किसी भी स्तर पर मेरी पहचान उजागर हो जाती है और उपक्रम का अधिकारी मुझे प्रताड़ित करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ?

संजय, यदि तुम पिडपी संकल्प के तहत शिकायत दर्ज करने के कारण पीड़ित होते हो , तो तुम सुरक्षा के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकते हो ।
इसके बाद आयोग संबंधित अधिकारियों को उत्पीड़न रोकने या तुमको ऐसे किसी भी उत्पीड़न से बचाने के लिए निर्देश जारी करेगा।
भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ शिकायत करने के बारे में इतनी महत्त्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी देने के लिए धन्यवाद विक्रम।
तुम्हारा हमेशा स्वागत है। हम जल्दी मिलेंगे।
कुछ महीने बाद
हाय विक्रम।
हाय संजय। क्या हाल है?
मैं अच्छा हूँ। मैंने सीवीसी में उपक्रम के अधिकारी के खिलाफ़ की गई शिकायत के बारे में अपडेट देने के लिए तुमको फोन किया है।

अरे हां। क्या तुमने सीवीसी में शिकायत दर्ज कराई थी?
हां विक्रम। सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ, मैंने पिडपी संकल्प के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई थी ।
मुझे पता चला है कि सीवीसी ने उपक्रम के सीवीओ को समयबद्ध तरीके से विस्तृत जांच के लिए निर्देशित किया है।
अरे वाह! अब तो तुम खुश होगे?
हां, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि अब टेंडर आवंटन निष्पक्ष तरीके से होगा।

## शिकायत तंत्र

- देश के नागरिकों द्वारा की गई शिकायतें भ्रष्टाचार से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) (सी) एवं 8(1) (डी) के प्रावधानों के अंतर्गत, आयोग शिकायतें प्राप्त करता है तथा प्राप्त शिकायतों पर जांच करवाता है ।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के शिकायत पोर्टल www.portal.cvc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें तथा डाक के माध्यम से लिखित शिकायतें की जा सकती हैं ।
- ईमेल द्वारा प्राप्त शिकायतों पर आयोग द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है।
- डाक द्वारा भेजी गई शिकायतों में, शिकायतकर्ता को अपना नाम, पूरा पता एवं हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
- शिकायत तथ्यपूर्ण एवं सत्यापन योग्य होनी चाहिए।
- अनाम/छद्म नाम शिकायतों पर आयोग में विचार नहीं किया जाता है ।
- शिकायतकर्ता की पहचान का विधिवत सत्यापन होने के बाद शिकायत की जांच की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।
- शिकायतकर्ता,जो अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहते, उनके पास 'लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प 2004' के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत करने का विकल्प होता है।
- शिकायतकर्ताओं को झूठी शिकायत करने से बचना चाहिए।
- विस्तृत जानकारी के लिए www.portal.cvc.gov.in देखें।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग


# केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली - 110023

www.cvc.gov.in



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation के सहयोग से प्रकाशित

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मुद्रित